कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड,

पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001, उत्तराखण्ड।
E mail- mail@uttarakhandayurved.co.in

ई–निविदा सूचना

जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबन्धन हेतु ई0–निविदा प्रपत्र – वर्ष 2025–26

निविदा	5000.00

1	निविदा संख्याः– 4804	दिनांक 29/08/2025
2	निविदा वेब साइट uktenders.gov.in पर उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 29.08.2025 से 18.09.2025 साय 5:00 बजे तक
3	प्री–बिड मीटिंग की तिथि	प्री–बिड मीटिंग दिनांकः 08.09.2025 साय 3:00 बजे निदेशालय, आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून
4	निविदा भरना प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 11.09.2025
5	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक 19.09.2025 को प्रातः 11:00 बजे
6	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी निविदा के पश्चात निर्धारित की जायेगी
7	तकनीकी बिड खोलने का स्थान	निदेशालय, आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून
8	फर्म का नाम व पता	
9	फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या	
10	फर्म का आयकर PAN	
11	धरोहर राशि की धनराशि	

धरोहर राशि का विवरण –

बैंक का नाम	F.D.R. संख्या	दिनांक	धनराशि

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रतिनिधि का नाम .....
दूरभाष संख्या.....
मोबाइल नम्बर.....

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या /लेखा–606/2025–26 दिनांक अगस्त, 2025

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 के अनुसार चिकित्सालयों में प्रतिदिन जनित होने वाले जैव अवशिष्टों के निस्तारण हेतु आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नेहरू कलोनी देहरादून एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड काशीपुर, उधमसिंह नगर में पंजीकरण किया जाना हैं उक्त पंजीकरण से पूर्व आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा अवशिष्ट संग्रह, परिवहन, उपचार निस्तारण हेतु सेवाएं देने वाली फर्म का चयन कर अनुबन्धित किया जाना हैं। जिस हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं।

अतः इच्छुक निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि तक उक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु दरें देने का कष्ट करें। निविदा की शर्तें की शर्तें निम्नवत हैं–

1. ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले, निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि इस निविदा दस्तावेज़ के अध्याय–1 "आवश्यकताओं की अनुसूची" में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों की **स्व–प्रमाणित स्कैन की गई प्रतियां** निविदा के साथ अपलोड की गई हों। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उनकी निविदा को सीधा अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2. **सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी** और उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकृत किया जा सकता है।
3. सेवा प्रदाता के पास **वैध प्रमाणपत्र** होने चाहिए, जैसे कि
   - **ISO 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली)**
   - **ISO 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली)**
   - **व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित प्रमाणपत्र**
4. निविदा के साथ **अनुबंध परिशिष्ट–A में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र** संलग्न होना चाहिए। वह निविदाकर्ता जिसकी निविदाएं/आपूर्ति आदेश पहले कभी **किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार** द्वारा **रद्द** की गई हों, या उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही शुरू/लंबित हो या उस पर **कोई दंड/जुर्माना** लगाया गया हो, उसकी निविदा को सीधा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. निविदा का **डाउनलोड और सबमिशन** केवल **ई–निविदा प्रणाली** के माध्यम से वेबसाइट पर किया जाएगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रतिभूति धनराशि (ईएमडी):

निविदा के साथ प्रतिभूति धनराशि (Earnest Money Deposit & EMD) संलग्न होना अनिवार्य है, जिसकी राशि रुपये 200000/–(अक्षरों में: रू0 दो लाख मात्र) होगी, जो कि **अनुमानित मूल्य का 2%** होगी। यह राशि **किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (FDR)** के रूप में, **निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून** के पक्ष में, एक रूप में देय होगी, जिसकी वैधता एक वर्ष की होगी। तथा कार्यादेश से पूर्व कुल कार्य की लागत का **5%** की धनराशि जमानत के रूप जमा करनी होगी।

बैंक द्वारा जारी ईएमडी की **स्कैन की गई, स्वप्रमाणित और निविदाकर्ता द्वारा काउंटरसाइन्ड प्रति** अपलोड करना अनिवार्य है।

अस्वीकृत निविदाओं की ईएमडी अंतिम वैधता अवधि समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र और अधिकतम अनुबंध के आवंटन की **30वीं तिथि** तक वापस कर दी जाएगी।

ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यदि निविदाकर्ता निविदा जमा करने के बाद अपना प्रस्ताव वापस लेता है, तो उसकी **ईएमडी जब्त** कर ली जाएगी।

ईएमडी के बिना या भौतिक रूप में प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।

---

3. तकनीकी बोली (Technical Bid/ As Per BMW Rules 2016):

i- निविदाकर्ता को अपनी पात्रता के दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां निविदा दस्तावेज के अध्याय–1 "आवश्यकताओं की अनुसूची" में उल्लिखित अनुसार अपलोड करनी होंगी।

पप. केवल वे निविदाकर्ता जिनकी तकनीकी बोली स्वीकार की जाती है, उनकी ही वित्तीय बोली खोली जाएगी।

4. वित्तीय बोली (Financial Bid):

वित्तीय बोली निविदाकर्ता द्वारा ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

वित्तीय बोली में निविदादाता को केवल मूल्य अनुसूची (Price Schedule) **प्रति किग्रा0 की दर** से देनी होगी।

उल्लिखित दरें हैंडलिंग, संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निपटान जैसी सभी सेवाओं के लिए प्रभावी करों सहित पूरी सेवाओं के आधार पर होनी चाहिए।

5. सामान्य नियम एवं शर्तें:

1. सेवा प्रदाता के पास राज्य/केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB/CPCB) से बायोमेडिकल अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, उपचार एवं निपटान हेतु उत्तराखण्ड के जिलों में कार्य करने के लिए वैध प्राधिकरण होना अनिवार्य है।

Scanned with OKEN Scanner

2(i)- चयनित एजेंसी (सेवा प्रदाता) उत्तराखण्ड के सभी आयुर्वेदिक अस्पतालों से बायोमेडिकल अपशिष्ट के संग्रहण, उपचार, परिवहन एवं निपटान के लिए उत्तरदायी होगी।

ii- सेवा प्रदाता को अपने अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों का समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा, जो गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो।

3. सेवा प्रदाता का कानूनी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि बायोमेडिकल अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन एवं निपटान इस प्रकार हो कि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और यह बायोमेडिकल वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2016 (संशोधित समय–समय पर) के अनुसार हो।

4. सेवा प्रदाता के पास राज्य/केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के तहत अनुज्ञात वाहन होने चाहिए।

5. सेवा प्रदाता को बायोमेडिकल अपशिष्ट को कवर्ड विशेष वाहनों में मान्यता प्राप्त अपशिष्ट उपचार केंद्र तक पहुँचाना होगा। यदि वाहन खराब हो जाए, तो सेवा प्रदाता को नियमों के तहत अनुमोदित वैकल्पिक वाहन अपने जोखिम और खर्च पर उपलब्ध कराना होगा।

6. अस्पताल में एकत्रित होने वाले कक्ष से अपशिष्ट एकत्र किए जाने के बाद से पूरे बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान की कानूनी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

7. यदि सेवा प्रदाता के संयंत्र/इंसीनेरेटर/CBWTF में किसी भी प्रकार का रुकावट या खराबी आती है, तब भी अस्पतालों से बायोमेडिकल अपशिष्ट एकत्र करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।

8. यदि सेवा प्रदाता अपशिष्ट नहीं उठाता/निपटाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी प्राधिकरण द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

9. सेवा प्रदाता का यह अपरिहार्य कर्तव्य होगा कि अपशिष्ट के उपचार और निपटान के लिए प्रयुक्त उपकरण और प्रक्रियाएं बायोमेडिकल वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2016 और संशोधन नियम 2018, 2019 के मानकों के अनुरूप हों।

10. सेवा प्रदाता को समय–समय पर संबंधित प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा मांगी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य रिकॉर्ड तैयार करने में अस्पतालों को सहायता देनी होगी।

11. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

12. कार्य निष्पादन के दौरान सेवा प्रदाता को सभी सुरक्षा मानकों और सावधानियों का पालन करना होगा ताकि मानव, मशीन और भवन को किसी भी प्रकार की क्षति से बचाया जा सके।

Scanned with OKEN Scanner

13. बायोमेडिकल अपशिष्ट एकत्र करने वाला व्यक्ति उचित सुरक्षा उपकरण पहनकर आएगा और अपने साथ एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें वह निम्नलिखित जानकारी दर्ज करेगा:

- अपशिष्ट उत्पत्ति स्थल का नाम
- प्राप्त अपशिष्ट का प्रकार और मात्रा
- अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
- संग्रहण की तिथि और समय आदि

अपशिष्ट को उत्पत्ति स्थल से संयंत्र तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।

15. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपशिष्ट के उत्पन्न होने से लेकर उसके उपचार तक की कुल समयावधि (संग्रहण एवं परिवहन सहित) 48 घंटे से अधिक न हो।

16. सेवा प्रदाता को बायोमेडिकल अपशिष्ट थैलों पर बारकोडिंग तथा वाहनों में GPS सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य होगा, जैसा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।

17. निविदा की स्वीकृति के पश्चात यह सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी अनुबंध होगा और उसे कार्य आदेश में उल्लिखित समयसीमा के भीतर सेवा प्रदान करनी होगी। किसी भी स्थिति में अनुबंध को उप–ठेका (subletting) देना अनुमन्य नहीं होगा।

18. कार्य आदेश की स्वीकृति के पश्चात, निविदा सूचना, शर्तें एवं गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर किए गए औपचारिक अनुबंध के माध्यम से यह एक वैधानिक अनुबंध बन जाएगा। यदि सेवा प्रदाता इनमें से किसी शर्त का पालन नहीं करता, तो उसे ब्लैकलिस्टिंग, ईएमडी की जब्ती जैसे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

19. सफल बोलीदाता को जिलों के आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों (DAUO) के साथ ₹200/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर 15 दिनों के भीतर अनुबंध करना होगा, जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

6. निरीक्षण (Inspection):

आयुष निदेशालय की निरीक्षण समिति निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत बायोमेडिकल वेस्ट (BMW) के उपचार हेतु वाहनों एवं सुविधाओं का निरीक्षण करेगी।

---

7. अनुबंध की शर्तें (Terms of Contract):

i- चयनित सेवा प्रदाता, अनुबंध की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए कार्य करेगा, जिसे प्रत्येक वर्ष आपसी सहमति और प्रत्येक अस्पताल/औषधालय प्रभारी द्वारा प्रदान की गई संतोषजनक कार्य रिपोर्ट के आधार पर लिखित रूप में बढ़ाया बढाने जाने हेतु विचार किया जा सकता हैं।

Scanned with OKEN Scanner

ii- कार्य आदेश आवंटित होने के पश्चात, सेवा प्रदाता को 30 दिनों के भीतर सेवाएं प्रारंभ करनी होंगी। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट (BM)का प्रबंधन एवं निपटान प्रतिदिन किया जाए और यह संबंधित कानूनों, नियमों एवं दिशा–निर्देशों के अनुरूप हो।

---

8. दंड (Penalty):

निदेशक, आयुष को, अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध अन्य उपायों के अतिरिक्त, यह अधिकार प्राप्त है कि यदि सेवा प्रदाता अनुबंध एवं निविदा की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करने में विफल रहता है, तो उस पर दंड लगाया जाए।

9. अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन एवं उपचार (Segregation] Collection] Transportation & Treatment of Waste):

अस्पताल द्वारा सेवा प्रदाता/एजेंसी को पृथक किया हुआ अपशिष्ट प्रदान किया जाएगा।

यह पृथक्करण बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

नुकीले (Sharp) अपशिष्ट के लिए निर्दिष्ट रंगों की पॉलीबैग्स एवं कंटेनरों को संबंधित रंग कोडित डिब्बों/क्षेत्रों में रखा जाएगा और जब ये दो–तिहाई भर जाएं, तो इन्हें उठाया जाएगा।

प्रत्येक बैग को डोरी या टाई से ठीक प्रकार से बंद कर उपचार संयंत्र (plant site) तक निपटान के लिए ले जाया जाएगा।

हर बैग BIS मानकों या बारकोड प्रणाली के अनुसार होना चाहिए, ताकि बायोमेडिकल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके, जैसा कि बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित) में उल्लेख है।

रंगीन कंटेनर इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन या अनलोडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति को सहन कर सकें।

सभी बैग/कंटेनर/डिब्बे जिनका उपयोग बायोमेडिकल अपशिष्ट के संग्रहण एवं भंडारण हेतु किया जा रहा है, उन पर संबंधित अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार बायो हैज़र्ड या साइटोटॉक्सिक हैज़र्ड का चिह्न स्पष्ट रूप से चिपकाया होना चाहिए, जैसा कि BMWM नियम, 2016 में निर्धारित है।

नुकीले अपशिष्ट को BMWM नियम, 2016 (संशोधन 2018, 2019) के अनुसार निर्दिष्ट कंटेनरों में प्रत्येक अस्पताल में निर्धारित बिंदुओं पर एकत्र किया जाएगा।

बायोमेडिकल अपशिष्ट एकत्र करने वाला व्यक्ति उचित सुरक्षा उपकरण पहनकर आएगा और अपने साथ एक रजिस्टर रखेगा जिसमें निम्नलिखित रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे:

- उत्पत्ति स्थल का नाम
- प्राप्त अपशिष्ट का प्रकार एवं मात्रा

Scanned with OKEN Scanner

- अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर (जैसे SNO या वार्ड प्रभारी नर्स)
- संग्रहण का दिन एवं समय

अपशिष्ट के संग्रहण बिंदु से संयंत्र तक परिवहन की जिम्मेदारी पूरी तरह सेवा प्रदाता की होगी।

पॉलीबैग्स में संग्रहित बायोमेडिकल अपशिष्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) द्वारा अनुमोदित पूरी तरह से ढके हुए समर्पित वाहनों के माध्यम से कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी (CBWTF) तक पहुँचाया जाएगा।

ऐसे वाहन विशेष रूप से बायोमेडिकल अपशिष्ट के परिवहन के लिए ही प्रयुक्त किए जाएंगे।

10. रिकॉर्ड प्रबंधन एवं लॉग बुक का संधारण (Record Management and Maintenance of Log Book):

सेवा प्रदाता को सभी इकाइयों से संबंधित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े रिकॉर्ड का संधारण करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक दिन का रिकॉर्ड रखना आवश्यक है, जिसमें स्वीकृत अपशिष्ट एवं उपचारित अपशिष्ट का स्थल से हटाया गया विवरण शामिल होगा।

रिकॉर्ड में निम्नलिखित न्यूनतम विवरण सम्मिलित होने चाहिए:

- स्वीकृत अपशिष्ट (Waste Accepted):
  - अपशिष्ट संग्रहण की तिथि
  - स्वास्थ्य देखभाल इकाई का नाम
  - अपशिष्ट की श्रेणी (नियमों के अनुसार)
  - अपशिष्ट की मात्रा (नियमों के अनुसार)
  - वाहन संख्या
  - स्थल पर प्राप्ति की तिथि
- उपचारित अपशिष्ट हटाया गया (Treated Waste Removed):
  - तिथि
  - उपचारित अपशिष्ट का प्रकार
  - मात्रा
  - वाहन संख्या
  - निपटान का स्थान

Scanned with OKEN Scanner

लॉग बुक (Log Book):

अस्पताल स्टाफ द्वारा सेवा प्रदाता की सहायता से एक लॉग बुक संधारित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:

i- प्रत्येक अपशिष्ट श्रेणी का वजन

ii- अस्पताल के अधिकृत व्यक्ति और अपशिष्ट संग्रहकर्ता के हस्ताक्षर

11. मध्यस्थता (Arbitration):

1. जब तक अनुबंध में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, यदि किसी भी समय कार्य की पूर्ति से पहले या बाद में, अथवा कार्य की अवधि के विस्तार के दौरान, अनुबंध की व्याख्या, क्रियान्वयन, प्रभाव, उल्लंघन अथवा अनुबंध से संबंधित किसी भी विवाद, अंतर, प्रश्न या असहमति उत्पन्न होती है, तो वह विवाद एकमात्र मध्यस्थ अर्थात् सचिव, आयुष के पास भेजा जाएगा, जो उस समय विवाद के समाधान हेतु अधिकृत होंगे।

i- मध्यस्थता का स्थल निदेशालय, आयुष में होगा।

ii- उपर्युक्त के अधीन, "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996" तथा उसके अंतर्गत समय–समय पर किए गए संशोधन या पुनः अधिनियमन और उस समय लागू नियम, इस खंड के अंतर्गत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे।

2. निदेशक, आयुष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, बिना कोई कारण बताए।

3. सभी कानूनी विवादों में केवल देहरादून/उत्तराखंड की सक्षम अदालतों को विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

12. एल 1 खंड (L1 Clause):

i- एल 1 एजेंसी (L1 Agency) का चयन उस फर्म के आधार पर किया जाएगा, जिसने **Per Kg** सबसे न्यूनतम दर कोट की हो।

ii- यदि निविदा के आवंटन से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो निदेशक आयुर्वेदिक यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

26/08

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)

निदेशक

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–ए

(गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत सत्यापित रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)

शपथ–पत्र

मैं/हम/एम/एस ..... राज्य/केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र संख्या ———————————— के अनुसार सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हूं/हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय .... तथा उपचार सुविधा का केंद्र .... स्थित है।

मैं/हम यह घोषणा एवं सत्यापनपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं/हम कभी भी किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किए गए हैं।

स्थान: ——————

शपथकर्ता (DEPONENT)

तिथि: ——————

———————————————————————————

सत्यापन (Verification):

मैं/हम, उपर्युक्त शपथ–पत्र की विषय–वस्तु को अपने ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही मानता/मानते हूं/हैं। इसमें कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान: ——————.

शपथकर्ता (DEPONENT)

तिथि: ——————

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय–1

आवश्यकताओं की अनुसूची (Schedule of Requirements)

1) "तकनीकी बोली (Technical Bid)" में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सम्मिलित होनी चाहिएः

i- राज्य/केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमोदन की प्रति।

ii- सेवा प्रदाता के पास वैध प्रमाणन होना चाहिए, जैसे कि **ISO 9001**, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (**ISO 14001**) और व्यावसायिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाणपत्र।

iii- पिछले एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न, जो आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(नोट– MSME छूट अनुभव वर्ष और टर्नओवर आवश्यकताओं पर लागू है,)

iv- 100 बिस्तरों वाले किसी सरकारी या निजी अस्पताल में पिछले एक वर्ष के लिए बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सुविधा में सेवा प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र।

(MSME छूट अनुभव वर्ष और टर्नओवर आवश्यकताओं पर लागू है।)

v- वैध नोटरीकृत किराया अनुबंध या उत्तराखंड राज्य श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

vi. एस्केलेशन मैट्रिक्स (म्बंसंजपवद डंजतप•) जिसमें कर्मचारियों के नाम, पद, अलग–अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हों।

vii. निकटतम सेवा प्रदाता (CBMWTF) को CPCB दिशा–निर्देश, 2016 के अनुसार वरीयता दी जानी चाहिए।

viii. अधिक उपचार क्षमता वाले सेवा प्रदाता (CBMWTF) को वरीयता दी जानी चाहिए।

ix- पैन कार्ड और जीएसटीआईएन (ळैज्च्छ) नंबर।

x- इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित परिशिष्ट–'ए' के अनुसार शपथ पत्र।

xi. निविदाकर्ता के नाम, पता, संपर्क नंबर आदि की स्कैन की गई प्रति (उद्यमी/साझेदार/निदेशक मंडल)।

xii. साझेदारी समझौता / संविधान / संस्था के स्मृति–पत्र की प्रति।

xiii- निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क नंबर एवं पदनाम/क्षमता।

ix. MSME प्रमाण पत्र

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–ए

(गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत सत्यापित रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है)

शपथ–पत्र

मैं/हम/एम/एस ..... राज्य/केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र संख्या ———————————— के अनुसार सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हूं/हैं, जिसका पंजीकृत कार्यालय .... तथा उपचार सुविधा का केंद्र .... स्थित है।

मैं/हम यह घोषणा एवं सत्यापनपूर्वक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं/हम कभी भी किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किए गए हैं।

स्थान: ——————

शपथकर्ता (DEPONENT)

तिथि: ——————

———————————————————————————

सत्यापन (Verification):

मैं/हम, उपर्युक्त शपथ–पत्र की विषय–वस्तु को अपने ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही मानता/मानते हूं/हैं। इसमें कोई भी तथ्य मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान: ——————.

शपथकर्ता (DEPONENT)

तिथि: ——————

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय–1

आवश्यकताओं की अनुसूची (Schedule of Requirements)

1) "तकनीकी बोली (Technical Bid)" में निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सम्मिलित होनी चाहिए:

i- राज्य / केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी लाइसेंस / प्रमाणपत्र / अनुमोदन की प्रति।

ii- सेवा प्रदाता के पास वैध प्रमाणन होना चाहिए, जैसे कि **ISO 9001**, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (**ISO 14001**) और व्यावसायिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमाणपत्र।

iii- पिछले एक वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न, जो आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(नोट– MSME छूट अनुभव वर्ष और टर्नओवर आवश्यकताओं पर लागू है,)

iv- 100 बिस्तरों वाले किसी सरकारी या निजी अस्पताल में पिछले एक वर्ष के लिए बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन सुविधा में सेवा प्रदान करने का अनुभव प्रमाण पत्र।

(MSME छूट अनुभव वर्ष और टर्नओवर आवश्यकताओं पर लागू है।)

v- वैध नोटरीकृत किराया अनुबंध या उत्तराखंड राज्य श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाणपत्र।

vi. एस्केलेशन मैट्रिक्स (म्बंसंजपवद डंजतप•) जिसमें कर्मचारियों के नाम, पद, अलग–अलग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शामिल हों।

vii. निकटतम सेवा प्रदाता (CBMWTF) को CPCB दिशा–निर्देश, 2016 के अनुसार वरीयता दी जानी चाहिए।

viii. अधिक उपचार क्षमता वाले सेवा प्रदाता (CBMWTF) को वरीयता दी जानी चाहिए।

ix- पैन कार्ड और जीएसटीआईएन (ळैज्च्छ) नंबर।

x- इस निविदा दस्तावेज में उल्लिखित परिशिष्ट–'ए' के अनुसार शपथ पत्र।

xi. निविदाकर्ता के नाम, पता, संपर्क नंबर आदि की स्कैन की गई प्रति (उद्यमी / साझेदार / निदेशक मंडल)।

xii. साझेदारी समझौता / संविधान / संस्था के स्मृति–पत्र की प्रति।

xiii- निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पता, संपर्क नंबर एवं पदनाम / क्षमता।

ix. MSME प्रमाण पत्र

Scanned with OKEN Scanner

अध्याय–5

आवरण में शामिल किए जाने वाले स्वास्थ्य संस्थानों का विवरण

क्र. सं.	कुल चिकित्सालय	कवर किये जाने वाले चिकित्सालयों का विवरण	बैडों की संख्या	अभ्युक्ति
1	01	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	50	
2	01	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	25	
3	04	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	15	
4	07	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	10	
5	428	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय	4	चिकित्सालयों में आवश्यकतानुसार

Scanned with OKEN Scanner